न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मोहनलाल बनाम दूलाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मुकदमा - 10/2021
15-9-21	वकील वादीगण उपस्थित। बहस अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। बहस पत्रावली दिनांक 8-10-2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
08.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-नांगल भीम में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकार उपस्थित। उपस्थित वादी मोहनलाल की पहचान वादीगण वकील द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी दूलाराम की पहचान सरंपच, ग्राम पंचायत नांगल भीम के द्वारा की गई। वकील वादीगण व पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन परः प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 08/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः-नांगल भीम

मोहन लाल वादी की पहचान करता हूँ (वकील वादी)

दूलाराम

दूलाराम प्रतिवादी को पहचान करता हूँ

(महेन्द्र कुमार)
सरपंच
ग्राम पंचायत नांगलभीम
पं. स. श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः— नांगल भीम, पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2019	2019 / 027	28.01.2019	08.10.2021

उनवान

1. मोहन लाल पुत्र स्व. रामसहाय उम्र—26 वर्ष
2. सोहन लाल पुत्र स्व. रामसहाय उम्र—21 वर्ष
3. राकेश पुत्र स्व. रामसहाय उम्र—19 वर्ष
4. सरोज पुत्री स्व. रामसहाय उम्र—28 वर्ष
5. सुनीता पुत्री स्व. रामसहाय उम्र—18 वर्ष
6. भोली देवी पत्नि स्व. रामसहाय उम्र—57 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी श्यामसिंह वाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. दूलाराम पुत्र स्व. कजोड़मल आयु 45 वर्ष
2. महेश पुत्र स्व. कजोड़मल आयु 33 वर्ष
3. ग्यारसी देवी पत्नि स्व. कजोड़मल आयु 65 वर्ष
4. कोयली देवी पुत्री स्व. कजोड़मल आयु 48 वर्ष
5. गुलाबी देवी पुत्री स्व. कजोंड़मल आयु 42 वर्ष
6. गीता देवी पुत्री स्व. कजोड़मल आयु 31 वर्ष

समस्त .जाति जाट निवासी[illegible] तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

सागरमल पुत्र नाथ्या उर्फ न[illegible] आयु 48 वर्ष [illegible] हजफ दिनांक 09.04.2021)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
सत्यमेव जयते

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर.

8. झाबरमल पुत्र नाथ्या उर्फ नारूराम आयु 38 वर्ष (नाम हजफ दिनांक 09.04.2021)

9. मनोहर पुत्र नाथ्या उर्फ नारूराम आयु 33 वर्ष (नाम हजफ दिनांक 09.04.2021)

10. कमली देवी पुत्री नाथ्या उर्फ नारूराम आयु 32 वर्ष (नाम हजफ दिनांक 09.04.2021)

11. फूली देवी पत्नि नाथ्या उर्फ नारूराम आयु 63 वर्ष (नाम हजफ दिनांक 09.04.2021)

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी श्यामसिंह वाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

12. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा, वादीगण अभिभाषक।
श्री फूलचन्द सामोता, प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 अभिभाषक।

<u>दावा बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ड़ेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1027, 1028, 1029, 1049 से 1051, 1053 से 1060 कुल किता 14 कुल रकबा 8.11 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार 1/4 हिस्से की खातेदारी मृत्तक कजौड़ पुत्र भूरा पिता व पति प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.64 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ के 1/2 हिस्से की खातेदारी मृत्तक कजौड़ पुत्र भूरा पिता व पति प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम व हिस्सा 1/2 की खातेदारी मृत्तक नारूराम पुत्र भूरा पिता व पति प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो दोनों हिस्से गलत दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियॉं पक्षकारान् की संयुक्त हिन्दू परिवार की पारिवारिक कृषि भूमियॉं है। जिनके ... वरदवत्त सैटलमेन्ट भूराराम के बड़े पुत्र कमशः कजोड़मल व ... कर्त्ता खानदान होने की वजह से दोनों बड़े भाईयों के नाम खातेदारी ... हो गई तथा भूराराम का छोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पुत्र रामसहाय का नाम उसकी बाल्यकाल अवस्था के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाम दर्ज नहीं कर सहवन से छूट गया। जो राजस्व कर्मचारियों व सैटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। वादीगण के पिता व पति तथा उसके अन्य भाईयों में आपस में प्रेम व आपसी सम्बन्ध रहने की वजह से वादीगण के पिता व पति द्वारा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने बाबत कोई जांच पड़ताल नहीं की। वादीगण के पिता व पति द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि को लगातार काश्त किया जा रहा है। उक्त वादपत्र की मद न. 1 में अंकित भूमि में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के पिता व पति मृत्तक कजोड़मल पुत्र भूराराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/8 हिस्सा एंव मद नं. 2 में वर्णित भूमि में मृत्तक कजोड़, नारूराम पुत्रगण भूरा के नाम दर्ज 1/2, 1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराना चाहते है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण ने सरसों व तारामीरा की फसल काश्त कर रखी है। वादीगण सरकारी सहायता, ऋण, अनुदान, किसान केडिट कार्ड आदि से वंचित हो रहे है एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओ से वंचित हो रहे है। इसलिए वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत यह वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण अपने हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1027 से 1029, 1049 से 1051, 1053 से 1060 कुल किता 14 कुल रकबा 8.11 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली में मृत्तक कजोड़ पुत्र भूरा के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/2 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/8 हिस्से के वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1096 ग्राम डेरावाली में मृत्तक कजोड़, नारूराम पुत्रगण भूरा के नाम दर्ज 1/2–1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्से के वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 1027 से 1029, 1049 से 1051, 1053 से 1060 में मृत्तक कजोड़ पुत्र भूरा का नाम 1/8 हिस्से से हजफ किया जाने व भूमि खसरा नम्बर 1096 से मृत्तक कजोड़, नारूराम पुत्रगण भूरा का नाम 1/6–1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड से हजफ करवाये जाने बाबत उक्त वादपत्र इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय [illegible] के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
08/10/21
उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर

नं. 1 ता 6 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 12 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने एंव खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.64 हैक्टर की इस्तदुआ विड्रा करने की प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर कार्यवाही विड्रा किये जाने एंव खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.64 हैक्टर से अनुतोष विड्रा करने की स्वीकृति दी जाती है। साक्ष्य वादीगण में वादी संख्या 1 का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र, पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत नांगल भीम में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को डिकी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज रिकार्ड है। संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार वादग्रस्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बरान् की खातेदारी भू प्रबन्ध सैटलमेंट विभाग की सम्वत् 2012 की पॉच जमाबन्दीयों में कजोड़ वल्द भूरा हिस्सा 1/4 व नारया वल्द भुरा हिस्सा 1/8 के नाम खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। जो वादीगण के पिता/पति व अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो वरवक्त सैटलमेंन्ट भूराराम के बड़े पुत्र कमशः कजोड़मल व नाथ्या उर्फ नारूराम के नाम बड़े व कर्त्ता खानदान होने की वजह से दोनों बड़े भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज होना तथा भूराराम का छोटा पुत्र रामसहाय का नाम उसकी बाल्यावस्था के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज नहीं करना प्रतित होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार भी रामसहाय का भूराराम का छोटा पुत्र होना प्रकट होता है। वादीगण साक्ष्य में वादी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की है। जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है।

अतः ऐसी स्थिति में [illegible] द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1027, 1028, 1029, 1049 से 1051, 1053 से 1060 कुल किता 14 कुल रकबा 8.11 हैक्टर में मृत्तक कजोड़ पुत्र भूरा के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 1/2 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/8 हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से खातेदार मृत्तक कजोड़ पुत्र भूरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 से नाम हजफ किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे कांश्त एंव उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना दीगर से करावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/10/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– नांगल भीम

यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के कैम्पः--नांगल भीम के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.26 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

08/10/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– नांगल भीम